राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 456/2014

दीन दयाल मीना —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.06.2014
आदेश की दिनांक : 01.02.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री नदीम मजाहिर, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 19.08.1991 (अनुलग्नक–1) द्वारा कनिष्ठ अभियंता (मैकेनिकल) के रूप में विज्ञापन संख्या 1056690–106187 दिनांक 20.03.1988 एवं वेतनमान रु. 1400–2600 में हुई थी। अपीलार्थी की अगली पदोन्नति 1967 के नियमों के अनुसार एईएन के पद पर होती है तथा अपीलार्थी वर्ष 2003–04 की रिक्ति के लिए एईएन के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र हो गया। एईएन का पद हर साल खाली होता रहा और वर्ष 2003–04 के लिए रिक्ति समय पर एवं यू.ओ. नोट के अनुसार निर्धारित नहीं की गई। सहायक अभियंता जौहर लाल मीना दिनांक 31.05.2004 को सेवानिवृत्त हुए एवं मुख्यालय के मुख्य अभियंता द्वारा यू.ओ. के माध्यम से अनुशंसा की गई। अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त करे क्योंकि अपीलार्थी पद धारण करने के लिए पूरी तरह से पात्र है (अनुलग्नक–2)। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 14.05.2004 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापित किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 34 पर अंकित है। आदेश दिनांक 06.10.2004 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को वित्तीय शक्तियां प्रदत्त की जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति दी गई। अपीलार्थी पर सहायक अभियन्ता के पद के लिए वर्ष 2003–04 के लिए विचार किया गया और 18 पद रिक्त थे और अपीलार्थी विचार के क्षेत्र में था। अपीलार्थी को कार्यकारी व्यवस्था के लिए रिक्त पद के विरुद्ध सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्त किया गया (अनुलग्नक–5)। वर्ष 2003–04 के लिए कोई पदोन्नति नहीं की गई थी और प्रत्यर्थी विभाग को वर्षवार रिक्ति का निर्धारण करना चाहिए था और समय पर डीपीसी आयोजित करने की आवश्यकता थी, लेकिन 10 साल से अधिक समय के अंतराल के बाद वर्ष 2014 में डीपीसी बुलाई गई और प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.02.2014 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी

को सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 439 पर अंकित है। वर्ष 2002–03 की तरह मैकेनिकल में 200 पद रखे गए थे और वर्ष 2003–04 में 217 पद रखे गए थे, लेकिन वर्ष 2013 में बिना किसी आधार और कारण के अचानक वे पद बढ़कर 498 हो गए (अनुलग्नक–7)। अपीलार्थी ने दिनांक 07.06.2014 (अनुलग्नक–8) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग के लिए नोटिस प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जवावे कि वर्ष 2003–04 के लिए पदोन्नति और एईएन के पद के लिए अपीलार्थी की उम्मीदवारी पर विचार किया जावे और अपीलार्थी को न्यायहित में वर्ष 2003–04 के लिए एईएन के पद पर पदोन्नत मानते हुए अगली पदोन्नति के लिए अपीलार्थी की सेवाओं पर विचार करें।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य